# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

## प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 18.06.2015

### कार्यवाही विवरण

दिनाक 18 जून, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे पंडित दीनदयालय उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलपति भवन में प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई । बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

उपस्थित

| | |
|---|---|
| 1. डॉ. विमलेश चौधरी<br>माननीया कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. श्री बंशीधर खंडेला<br>माननीय विधायक | सदस्य |
| 3. श्री गोरधन वर्मा,<br>माननीय विधायक | सदस्य |
| 4. श्री एल.एन. सोनी,<br>जिला कलक्टर | प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि |
| 5. डॉ. सी.बी. गेना | विख्यात शिक्षाविद् |
| 6. डॉ. धर्मचंद जैन | विख्यात शिक्षाविद् |
| 7. डॉ. शमसुद्दीन खान, कुलसचिव | सदस्य सचिव |

नोटः– डॉ. पैथे अभय मोरेश्वर, मुंबई (महाराष्ट्र), श्रीमती राजश्री नागाराजु, बेलगाम (कर्नाटक), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) तथा आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर बैठक में सम्मिलित नहीं हुए ।

माननीया कुलपति महोदया एवं सभापति, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बोर्ड के सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का बैठक में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया तथा कहा कि बोर्ड के सदस्यगण अत्यल्प समय की सूचना पर उपस्थित हुए तथा विश्वविद्यालय का सहयोग किया इसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूं तथा आशा करती हूं कि भविष्य में भी आप अपना सहयोग इसी प्रकार विश्वविद्यालय को देते रहेंगे ।

3

**Agenda Item No. 01** **To confirm the Minutes of the BoM Meeting dated 04.06.14**

कुलसचिव, पंडित दीनदयालय उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड ने प्रबंध मण्डल की मीटिंग दिनाक 04.06.2014 के मिनिट्स अनुमोदन हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखे ।

**Resolution-**

**Agenda Item No. 02** **Progress report and Follow-up action taken under Decision of BoM Meeting.**

गत प्रबन्ध बोर्ड की मीटिंग की अनुपालना व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत

कुलसचिव, पंडित दीनदयालय उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके बिन्दु संख्या 02 में सामान्य/बी.एड एवं लॉ महाविद्यालय के स्थान पर अधिकारिता का विस्तार सीकर और झुन्झुनूं जिले में स्थित समस्त महाविद्यालयों पर होगा।

बिन्दु संख्या 03 के संबंध में कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत लोगो के संबंध में डॉ. धर्मचंद जैन ने अवगत करवाया कि प्रस्तुत लोगो में कोई भी इस विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि लोगो हिन्दी में अथवा हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिये। इस संबंध में सभी सदस्यों ने विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया कि कुलपति महोदया सील, फ्लेग एवं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लोगो तैयार करवावें एवं सर्कूलेशन के माध्यम से इसे अनुमोदित करवावें। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड की मीटिंग प्रत्येक तीन माह में आयोजित करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।

बिन्दु संख्या 04 के संबंध में अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं होने तक प्रतिनियुति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों की कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति की जाने का निर्णय किया गया । श्री एल.एन. सोनी, जिला कलक्टर ने कहा कि वाहन चालक एवं च.श्रे.क. कार्मिकों की नियुक्ति REXCO/ Home Guard/Retd Persons से की जावे । संविदा पर नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नहीं की जावे ।

नियमित भर्ती हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार योग्यतायें/सेवा शर्तें, निर्धारित कर प्रशासनिक विभाग से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर पुनः पदों की विज्ञप्ति जारी की जावे ।

बिन्दु संख्या 05 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि डाईट के भवन को परीक्षा भवन, सेलर भवन की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार करवाया जावे ।

बिन्दु संख्या 06 के एजेण्डा हिन्दी में ही भेजा जाना चाहिये। डॉ. सी.बी. गेना ने कहा पण्डित दीनदयालय उपाध्याय विश्वविद्यालय का पूरा नाम लिखा जाना चाहिये पीडीडीयू नहीं। इससे नाम की सार्थकता खत्म होती है।

बिन्दु संख्या 07 के संबंध में सभी सदस्यों ने सहमति जताई।

बिन्दु संख्या 08 भवन का नक्शा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के नव निर्मित भवन का अवलोकन भी करने का सुझाव दिया गया तदनरूप भवन का नक्शा बनवाया जावे।

बिन्दु संख्या 09 के संबंध में राजकीय वाहन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग से पुनः निवेदन किया जावे।

**Agenda Item No. 03** **Budget allotment/own income/expenditure of the University for last three years.**

कुलसचिव, पंडित दीनदयालय उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विश्वविद्यालय की निजी आय/खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशाषी संस्था है इसका पैसा पी.डी. खाते में अब तक क्यों जमा है। यह किसी भी बैंक में खोला जाना चाहिये, जिससे विश्वविद्यालय को जमा राशि पर ब्याज मिल सके। श्री एल.एन. सोनी जिला कलक्टर ने कहा कि कुलपति महोदय इस संबंध में 03–04 बैंकों से सम्पर्क कर ब्याज दर के संबंध में भी मोल भाव कर खाता खुलवाने की प्रकिया प्रारम्भ करवा सकती हैं। इस पर सदस्यों ने विस्तृतीकरण मांगा। कुलसचिव ने कहा इस बारे में वित्त नियंत्रक ही बता सकेंगे। गत प्रबन्ध बोर्ड की मीटिंग में रखे गये वर्ष 2013–14 के बजट–आउट ले की प्रति दी गई जिसमें तत्कालीन कुलसचिव द्वारा गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे। श्री एल.एन. सोनी, जिला कलक्टर, सीकर एवं प्रतिनिधि वित्त ने आश्चर्य किया और कहा कि ऐसे में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये। इस पर माननीय विधायक श्री गोरधन वर्मा ने कुलपति से भी पूछा तब माननीया कुलपति ने बताया लेखाधिकारी के द्वारा ~~1,02,301~~ 10200301 (एक करोड़ दो लाख तीन सौ एक रू) की बचत को छुपाया गया है और वित्त समिति में इस पर निर्णय लिया जा चुका है। तब सभी सदस्यों ने इसे उचित बताया और पुनः वित्त नियंत्रक द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि प्रबन्ध बोर्ड की मीटिंग में वित्त नियंत्रक को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावे। इस प्रस्ताव को सभी ने सर्वसम्मति से पारित किया। वित्त नियंत्रक उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण एजेण्डा–3 पर सदन में चर्चा नहीं हो पायी। यह अगली मीटिंग हेतु Defer कर दिया गया ।

**Agenda Item No. 04** **All types of Fee Structure of the University.**

महाविद्यालयों की संबद्धता शुल्क (स्थायी एवं अस्थायी) विद्यार्थियों का नामंकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रोविजनल प्रमाण–पत्र शुल्क, अंकतालिका शुल्क (Duplicate and Advance Copy),

(5)

प्रोविजनल उपाधि शुल्क आदि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के शुल्क के अनुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया जिसे प्रबंध बोर्ड ने अनुमोदित किया।

**Agenda Item No. 05** **Service Rules of the University**

विश्वविद्यालय के स्वयं के जब तक सेवा नियम नहीं बन जाते हैं, तब तक इस विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार सेवा नियमों का पालन किया जाना प्रस्तावित है:–

1. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा समय–समय पर पारित कोई भी सेवा नियम संबंधी स्वीकृति/निर्णय/अनुमोदन के अनुसार यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा ।
2. यह विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सेवा नियमों का अनुपालन करेगा ।
3. जहॉं पर एवं जिस विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवा नियम मौन (Silent) हैं या सेवा नियम बने ही नहीं है, वहॉं पर यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के सेवानियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

इस सम्बंध में श्री एल. एन. सोनी जिला कलक्टर ने कहा कि जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के नियम नहीं बन जाते तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग से इनका अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक विश्वविद्यालय में

1. राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
2. तत्पश्चात् राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
3. और किसी बिन्दु पर राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम एवं राजस्थान सरकार के सेवा नियम मौन हों तो प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु प्रकरण रखा जावे ।

**Agenda Item No. 06** **Audit of the University**

विश्वविद्यालय का वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 के 03 वर्षों में जो आय–व्यय हुआ है, उसका Audit होना शेष है । विश्वविद्यालय के लेखों का महालेखाकार, राजस्थान सरकार/लोकल फण्ड ऑडिट विभाग से करवाया जाना प्रस्तावित है ।

इस संबंध में श्री एल.एन. सोनी ने कहा कि किसी ऐसे सी.ए. को Audit कार्य हेतु अधिकृत किया जावे जिसने किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 03 वर्ष तक Audit की हो, साथ ही सीएजी से ऑडिट करवाने के लिए ऑडिट विभाग को पत्र लिखे जाने की बात कही। डॉ. सी.बी. गेना एवं डॉ. धर्मचन्द जैन ने कहा कि Audit का कार्य 03 माह में जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जावे ।

**Agenda Item No. 07** **Academic and Holiday Calendar of the University for 2015-16**

पंडित दीनदयालय उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का Acadmic एवं Holiday Calendar बनवाया जाना आवश्यक है । इस बाबत कुलपति समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 05.05.2015 को इन दोनों प्रकार के Calendar पर चर्चा हुई थी, कि सभी

विश्वविद्यालयों का एक ही तरह का Acadmic Calendar हो ताकि सभी विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता बनी रहे । Holiday Calendar राज्य सरकार के अनुरूप हो तथा इसमें कुलपति द्वारा देय दो अवकाश भी जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश में ही समाहित कर दिया जावेगा।

इस संबंध में डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि कुलपति द्वारा देय दो अवकाश जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाशों में समाहित नहीं किया जाना चाहिये यह कुलपति का विशेषाधिकार कुलपति के पास ही रखा जाना चाहिये । शेष Acadmic एवं Holiday Calendar अन्य विश्वविद्यालयों की समरूपता में बना लिया जावे ।।

**Agenda Item No. 08** **Syllabi of the University for Academic year 2015-16**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सभी विषयों का Syllabi 2015-16 समयाभाव के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का Syllabi हुबहू काम में लिये जाने के प्रस्तावित प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने एकमत होकर अनुमोदित किया।

**Agenda Item No. 09** **Purchase of Vehicles**

राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को सीकर एवं झुन्झुनूं जिले का क्षेत्राधिकार दिया गया है, इसके अंतर्गत संबद्धता/परीक्षायें आदि का कार्य किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 02 वाहन क्रय किये जाने की आवश्यकता बताई जिसे प्रबंध बोर्ड ने सिरे से नकार दिया तथा श्री एल.एन. सोनी जिला कलक्टर, सीकर ने कहा कि एक वाहन आप किराये पर स्थाई रूप से रखें तथा अन्य वाहन जैसे–जैसे आवश्यकता हो किराये पर ले लिये जावें क्योंकि वाहन खरीदे जाने पर ड्राईवर रखे जाने की समस्या भी सामने आयेगी तथा अभी नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब होगा । सभी सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति जताई ।

**Agenda Item No. 10** **Statue Foundation of Pandit DeenDayal Ji Upadhaya**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के परिसर "कटराथल" में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति की स्थापना एवं उसके अनावरण के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि उक्त बिन्दु पर विश्वविद्यालय का भवन निर्माण हो जाने के पश्चात् विचार किया जावे ।

**Agenda Item No. 11** **Nomination of a Board Member for Finance Committee.**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 29) के अनुच्छेद 25 वित्त समिति के गठन (1) के (घ) हेतु वित्त समिति में बोर्ड द्वारा, इसके अशासकीय सदस्यों की सूची एफ–10 में वर्णित नामो पर प्रबन्ध बोर्ड ने

विचार विमर्श उपरान्त डॉ. सी.बी. गेना पूर्व कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम अनुमोदित किया गया ।

**Agenda Item No. 12** **Design of Main Gate of Boundary wall of the University.**

प्रस्तावित विश्वविद्यालय भवन कटराथल में आवंटित भूमि के चारों तरफ बाउंड्रीवाल निर्माण के संबंध में सभी सदस्यो ने विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया कि बाउंड्रीवाल का निर्माण जितना हो चुका है उतना ही रहने दिया जावे तथा संबंधित एजेंसी को कार्य का मूल्यांकन करवाकर भुगतान किया जावे । बाउंड्री वाल हेतु प्राप्त राशि में से शेष राशि का उपयोग परिवर्तन (भवन निर्माण में उपयोग) हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे तथा उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने पर रोड़ से 40 मीटर से भी 05 मीटर ज्यादा छोड़कर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया जावे । डॉ. सी.बी. गेना ने कहा कि विश्वविद्यालय से सटती हुई भूमि को विश्वविद्यालय को भविष्य में होने वाली आवश्यकता को देखते हुए आरक्षित करवाने की कार्यवाही की जावे । इस पर दोनो माननीय विधायकों ने सक्रिय सहयोग करने का व जिला कलक्टर ने भी इस सामुदायिक भूमि को हायर एजूकेशन के नाम से रिजर्व रखने की अपनी सहमति दी । इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

**Agenda Item No. 13** **Seal/Stamps of the University**

नवस्थापित विश्वविद्यालय के कार्य शुरू करने के लिए स्टाम्प, फलेग एवं सील बनवाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदया फलेग, सील, स्टाम्प का प्रारूप बनाकर सभी सदस्यों से सर्कूलेशन के माध्यम से अनुमोदन करवाकर तद्नुरूप कार्यवाही करावें ।

**Agenda Item No. 14** **Any item with the kind permission of the chair :**

1. **Approval of the rules and regulations for affiliation of the colleges :** शैक्षणिक सत्र 2015–16 में निजी महाविद्यालयों को समयाभाव के कारण राजस्थन विश्वविद्यालय, जयपुर के rules and regulations के अनुसार सम्बद्धता दिये जाने का सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया ।
2. विश्वविद्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण एवं समयाभाव के कारण शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए संबद्धता, नामांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्य Out sourcing द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित किया गया इस पर श्री एल.एन. सोनी, जिला कलक्टर, सीकर ने बताया कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम (Rajasthan Public Procurement Transparency Rules) के अंतर्गत Out sourcing करवाई जावे और उसी फर्म से कार्य करवाया जावे जिसने 03 साल तक किसी विश्वविद्यालय में यह कार्य किया हुआ हो । उससे Out sourcing द्वारा करवाया जाना अनुमोदित किया गया ।

3. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक बैठकों (प्रबंध मण्डल आदि) में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।
4. **Approval of CCTV for all three building of University (C.E. Office, V.C. Office & V.C. Residence office)**
   वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एवं सजगता हेतु विश्वविद्यालय के तीनों भवनों में (परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, कुलपति सचिवालय एवं कुलपति निवास कार्यालय) सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया इसमें गोपनीयता को ध्यान में रखते हुये कुलपति निवास कार्यालय को छोड़कर समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।
5. **Approval of all Envelope/Performa/Format day to day use in the University**
   विश्वविद्यालय में काम में लिये जाने वाले सभी लिफ़ाफे/प्रपत्र/आवेदन पत्र (Forms) इत्यादि अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।
6. **Approval of Temporary appointment of College Lecturers on Designation of Deans**
   विश्वविद्यालय में वर्तमान में स्वयं के विभाग/संघटक कॉलेज नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी महाविद्यालय के वरिष्ठतम व्याख्याताओं/प्राचार्य को डीन पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त करने बाबत् स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

**Agenda Item No. 15 Vote of Thanks**

अन्त में माननीया कुलपति महोदया द्वारा सभी आगन्तुक सदस्यों का आभार प्रकट कर बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

कुलपति

कुलसचिव